न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 52 / 2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00554

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), जैतारण		1. मांगू पुत्र नवला के कायम मुकाम :– 1 / 1. भूराराम पुत्र मांगीलाल कुम्हार 1 / 2. गोविन्दराम पुत्र मांगीलाल कुम्हार 1 / 3. मैनादेवी पत्नी नारायणलाल कौम कुम्हार निवासी बेड़ा महाराजपुरा तहसील जैतारण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 21-12-21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खेडामहाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल के खसरा नंबर 204 / 23 रकबा 4 बीघा भूमी मिसल बन्दोबस्त 2011–30 के अनुसार पूर्व में गैर मुमकिन नदी स्थित थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 / 1 से 1 / 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन परगना अधिकारी के आदेश क्रमांक 497 दिनांक 29.5.1972 की पालना में नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 12.6.1972 के जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नदी से बारानी दोयम दर्ज किया गया। तथा उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता मांगू पुत्र नवला को दिनांक 12.6.1972 को आवंटन कि गई थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। तथा तत्कालीन परगना अधिकारी के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 29.5.72 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 12.6.1972 भरा जाकर मांगू पुत्र नवला को गैर खातेदार दर्ज किया गया। तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 30.5.1981 के मांगू पुत्र नवला को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमी की किस्म गै.मु. नदी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी है अतः तत्कालीन परगना अधिकारी को न तो इसका किस्म परिवर्तन करने का अधिकार था और न ही इसका आवंटन / नियमन किया जा सकता था। अतः उक्त आवंटन / नियमन प्रतिबंधित भूमी का कर दिए जाने से निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त फरमाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. नदी दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के आदिनाँक अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मूल आवंटन रेकर्ड तलब किया गया इस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा जरिये पत्रांक / राजस्व / 2020 / 903 दिनां[illegible]20 के मूल आवंटन रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। अ[illegible]हस सरकारी पैरोकार सुनी गई। ग्राम ख[illegible] हल्का फूलमाल के खसरा नंबर 204 / 23 रकबा 4 बीघा भूमी गैर मुम[illegible] नदी स्थित थी जो[illegible]न जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व [illegible] में खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन परगना अधिकारी के आदेश क्रमांक 497 दिनांक 29.5.1972 की पालना में नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 12.6.1972 के जरिये भूमी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश 2

जिला कलेक्टर, पाली

किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नदी से बारानी दोयम दर्ज किया गया। जो विधिसम्मत नहीं है। तथा उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के पिता मांगू पुत्र नवला को दिनांक 12.6.1972 को आवंटन कि गई थी। तथा तत्कालीन परगना अधिकारी के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 29.5.72 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 12.6.1972 भरा जाकर मांगू पुत्र नवला को गैर खातेदार दर्ज किया गया। तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 30.5.1981 के मांगू पुत्र नवला को खातेदार दर्ज किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त गै.मु. नदी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी से बारानी दोयम में परिवर्तन कर इसका आवंटन/नियमन किया जाना विधिविरूद्ध था।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 12.6.1972 जिसके जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन कर नियमन/आवंटन की गई उक्त नामान्तरकरण व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण सभी को निरस्त फरमाने के साथ ही भूमी पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested